कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

पत्रांक 07/नि॰ (विधि–12)–विविध–81/2014 /पटना, दिनांक............

प्रेषक,

हुकुम सिंह मीणा,
निबंधक,
सहयोग समितियाँ बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी।
सभी सहायक निबंधक, सहयोग समितियाँ।

विषयः–बिहार सरकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2013 की धारा–32 (च) में विहित प्रावधान में प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में प्राथमिक कृषि साख सोसाइटी (PACS) और प्रखण्डस्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समिति की सदस्यता सूची वार्षिक विवरणी के रूप में दाखिल करने के संबंध में।

प्रसंगः–इस कार्यालय का पत्रांक 5391 दिनांक 19.09.2014

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र की कंडिका–3 में यह उल्लिखित है कि प्रत्येक सहकारी समिति प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के छः माह के भीतर बिहार सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2013 द्वारा बिहार सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित) की धारा 32ख. के अलोक में निबधंक के समक्ष वार्षिक विवरणी दाखिल करेगी। उल्लेखनीय है कि प्रांसगिक अधिनियम की धारा–32ख (च) में विहित प्रावधानुसार निबंधक के समक्ष वार्षिक विवरणी में कोई अन्य जानकारी, जो निबंधक द्वारा अधिसूचित अधिनियम के किसी प्रावधानों के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक हो, दाखिल करेगी।

एतवर्थ आपको निदेश दिया जाता है कि आप अपने क्षेत्रान्तगर्त्त सभी पैक्सों/प्रखंड स्तरीय मत्स्यजीवी सहयोग समितियों के मुख्य कार्यपालको को निदेशित करें कि वे वार्षिक विवरणी के साथ संबंधित समिति की दिनांक 31मार्च के आधार पर तैयार सदस्यता सूची समर्पित करें, जिससे कि समिति के सदस्य कौन है, की पारदर्शिता बनी रहे। संबंधित जिला सहकारिता पदाधिकारी/सहायक निबंधको का यह दायित्व होगा कि वे समितियों से प्राप्त सदस्यता सूची की सॉफ्ट कॉपी तैयार कर (अतिरिक्त बैक अप) के साथ अपने –अपने कार्यालय में सुरक्षित अभिलेखा में रखें। साथ ही ई–मेल द्वारा संबंधित संयुक्त निबंधक/निबंधक कार्यालय के ई–मेल पते पर भी ससमय संप्रेषित किया जाना सुनिश्चित करें।

वैसी समितियां जो इनका अनुपालन सुनिश्चित न करे अथवा मिथ्या जानकारी दे तो उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा–45 (1)(क) के अधीन सुसंगत कार्रवाई की जाय।

सनद रहे कि उपर्युक्त प्रक्रिया अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष सदस्यता सूची को प्रथामिकता के साथ अद्यतन (Update) कर संधारण सुनिश्चित किया जाय।

कृपया इसे आवश्यक समझें।

ह॰/–

(हुकुम सिंह मीणा)
निबंधक,
सहयोग समितियाँ बिहार, पटना।

ज्ञापांक 2651 /पटना, दिनांक 29.9.14

प्रतिलिपिः– 1. सभी संयुक्त निबंधक/प्रभारी पदाधिकारी, प्रशाखा–3 कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित। उन्हें निदेश दिया जाता है कि वे

प्रतिवर्ष इसकी समीक्षा करें, तथा इस मामलें में कोताही बरतने वाले पदाधिकारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई की ससमय अनुशंसा की जाय।

2. प्रतिलिपि प्रभारी पदाधिकारी, कम्प्यूटर कोषांग कार्यालय निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को इस निदेश के साथ कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अपलोड़ किया जाना सुनिश्चित करते हुए सभी संबंधितों को ई–मेल से अविलम्ब सूचना भेजें।

निबंधक,
सहयोग समितियाँ बिहार, पटना।

प्रभारी पदा उ नि.

D/Sec/Nibandak 24.09.2014